उरमूल रूरल हैल्थ रिसर्च एण्ड डवलपमेंट ट्रस्ट,बीकानेर

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

अप्रेल 2016–मार्च 2017

उरमूल रूरल हैल्थ रिसर्च एण्ड डवलपमेंट ट्रस्ट

उरमूल भवन ,रोडवेज बस स्टेण्ड के पास, बीकानेर

फोन नम्बर : 0151–2523093, **Email. : urmultrust@rediffmail.com**

कार्यक्रम विवरण

क्र.स.	विषय	पेज नम्बर
1.	राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना,NDP-1 NDDB-World Bank	1–2
2.	राजस्थान सामाजिक समावेश कार्यक्रम Sightsavers	3–10
3.	चाइल्ड हैल्प लाइन–1098 Child India Foundation	11–14
4.	ई–शक्ति परियोजना NABARD	15–16
5.	स्वयं सहायता समूह गठन एवं क्रेडिट लिकेंज परियोजना NABARD	17–18
6.	मॉडल फार्म विकास एवं टिकाऊ खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम CAF-Charities Aid Foundation	19–21
7.	कशीदाकारी क्षमतावधर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम CAF-Charities Aid Foundation	22–24
8.	उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम USHA International	25–26
9.	महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र Govt.of Rajasthan	27–28
10.	बाल विवाह के विरूद्व अन्तरराष्ट्रीय अभियान का थार मरूस्थल में क्रियान्वयन–UNICEF	29–33

राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना,NDP-1

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू एवं हनुमानगढ़ जिला

परियोजना प्रारम्भ : अप्रेल 2013

वितीय सहयोग : विश्व बैंक ,भारत सरकार एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना–1

सहयोगी संस्थाएं :
- राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड
- वेटरनरी कॉलेज
- राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, जयपुर
- सीमन स्टेशन, बस्सी

परियोजना प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2016–मार्च 2017

परियोजना के मुख्य उद्देश्य :

- राठी नस्ल की गायों का संरक्षण एवं बढावा देना।
- कृत्रिम वीर्यदान के लिए पषुपालको व किसाानो को प्रोत्साहित करना।
- प्रति पषु दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढाना।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल के सांडो का उत्पादन करना।
- बिना नस्ल की गायों को राठी नस्ल के सांड द्वारा प्रजनन करके नस्ल सुधारना।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल के सांडो को सीमन बैंक को उपलब्ध करवाना।
- पषुपालको को न्यूनतम राषि पर राठी नस्ल कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- पषुपालको के पषुओं को उतम गुणवता के राठी सॉड के बीज से कृत्रिम गर्भाधान करवाना।
- पषुपालकों के द्वार पर गायों की निःषुल्क जॉच करना व परामर्ष देना।
- गांव स्तर पर निःषुल्क पषु स्वास्थ्य षिविरों का आयोजन।

परियोजना की मुख्य गतिविधियां :

- चयनित व सर्वेकृत गांवो में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना व कार्यकर्ता का चयन।
- कृत्रिम गर्भाधान के लिय चयनित कार्यकर्ताओं का प्रषिक्षण करवाना।
- कृत्रिम गर्भाधान करना।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल की गायों का दुग्ध मापन।
- ग्राम स्तरीय बैठकों का आयोजन।
- बांझपन निवारण षिविरों का आयोजन।
- प्रचार प्रसार षिविरो का आयोजन।
- ग्राम स्तरीय कॉफ रैली का आयोजन।
- कॉफ रियेरिंग स्टेषन की स्थापना एवं संचालन।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल के सांड का संकलन एवं परवरिष।
- परियोजना प्रबन्धन समिति की बैठक का आयोजन।
- पर्यवेक्षक के लिए प्रषिक्षणों का आयोजन।

परियोजना की भौतिक प्रगति का विवरण : अप्रेल 2016–मार्च 2017

क.स.	गतिविधि	संख्या
1.	परियोजना में सम्मलित गांव	267
2.	परियोजना के तहत सर्वे किये गये गांव	04
3.	संकुल	01
4.	परियोजना समन्वयक	01
5.	क्षेत्रीय समन्वयक	02
6.	परियोजना में कार्यरत सुपरवाईजर	05
7.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यकर्ता	48
8.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित व संचालित गांव	48
9.	वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान किये जा रहे गांव	267
10.	अब तक किये गये कृत्रिम गर्भाधान	12914
11.	अब तक परियोजना के तहत शामिल पशु	52408
12.	अब तक कृत्रिम गर्भाधान कार्य से प्राप्त राशि	3,00,820
13.	परियोजना में कार्यरत सुपरवाईजर प्रशिक्षण	02
14.	एल.एन. 2 प्रशिक्षित केन्द्र कार्यकर्ता	01
15.	नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यकर्ता प्रषिक्षण	00
16.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यकर्ता रिफ्रेसर प्रशि.	46
17.	बाझपन निवारण शिविरों का आयोजन	152
18.	बाझपन निवारण षिविरों से लाभान्वित पषु	1368
19.	किसानो के साथ कार्यक्रम विस्तार प्रोग्राम	153
20.	किसानो के साथ विस्तार प्रोग्राम से लाभान्वित	1836
21.	कॉफ रेली का आयोजन	38
22.	कॉफ रैली में शामिल होने वाले पषुओं की संख्या	342
23.	गांव स्तरीय समिति गठन	04
24.	दूध मापन किये जा रहे पषुओं की संख्या	654
25.	कुल दूध मापन	654
26.	कुल दूध टेस्टिग	318
27.	स्टाफ मासिक बैठक	48
28.	परियोजना प्रबन्धन समिति बैठक	02
29.	कृत्रिम गर्भाधान किये गये पषुओं की संख्या	11443
30.	कृत्रिम गर्भाधान से प्राप्त पषुओं की संख्या	12914

परियोजना के तहत उपरोक्त विवरण के मुताबिक किये जा रहे कार्य से मुख्य परिणाम :

- कृत्रिम गर्भाधान के प्रति किसानों का जुडाव दिखने लगा है।
- पशुपालकों में प्राकृतिक गर्भाधान के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढी है।
- स्थानीय गाय की नस्लों में सुधार होकर राठी नस्ल में वृद्वि हुई है।
- परियोजना से जुडे पशुपालकों के पशुओं में प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन में सुधार आया है।

राजस्थान सामाजिक समावेश कार्यक्रम

परियोजना का कार्यक्षेत्र : ब्लांक, बीकानेर, श्रीडूंगरगढ, कोलायत, लूणकरणसर एवं नोखा

वितीय सहयोग : साईटसेवर्स इन्टरनेशनल

कार्यक्रम प्रारम्भ : अगस्त 2014

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2016–मार्च 2017

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य

- विकलोगो को आजीविका से जोडकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।
- विकलांग अधिकार मंच का सशक्तिकरण।
- क्षेत्र में विकलांगो के अनुकुल वातारण तैयार एवं स्थापित करना।

कार्यक्रम के सब–उद्देश्य :

- प्रचार प्रसार सामग्री व समुदाय के साथ बैठको के माध्यम से स्थानीय जन समुदाय को विकलांगो के प्रति संवेदनशील बनाना।
- दृष्टिबाधित ,अल्पदृष्टि एवं अन्य विकलांग लोगो को सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं से जोडकर लाभान्वित करवाना ।
- स्वयं सहायता समूह गठन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से विकलांगो का सशक्तिकरण करना।
- विश्व दृष्टि दिवस ,विकलांग दिवस एवं अन्य महत्वपूर्ण दिवसो पर आयोजन करके लोगो को जानकारी देना एवं संवेदनशील बनाना।
- प्रशिक्षणों का आयोजन एवं संचालन (स्टाफ ,समुदाय के जागरूक लोगो, सरकारी व गैर सरकारी स्टेक होल्डरस्, जिला विकलांग अधिकार मंच एवं पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों इत्यादि) के लिए ।
- विकालांगो को समाज कीं मुख्यधारा में जोडने हेतु प्रयास ।
- विकलांगो का सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास ।
- विकलागो को जिला विकलांग अधिकार मंच से जोडना।
- क्षेत्र में विकलागों के लिए रोजगार के उपयुक्त अवसरों को खोजना।
- विकलांगो के लिए रोजगार परक कार्यो की उपलब्धता के लिए प्रयास व पैरवी करना।
- विकलागो के कौशल विकास हेतु सरकारी प्रशिक्षणों से जोडना।
- विकलागों की व्यवसायिक दक्षता व कौशल बढाना।

जिले के 5 ब्लॉक में कुल चिन्हित विकलांगो की संख्या :

क्र.स.	विवरण	लाभान्वितों की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल
1.	दृष्टिहीन	274	157	431
2.	अल्पदृष्टि	201	65	266
3.	लोकोमोटर	3842	1490	5332
4.	एम.आर.	500	212	712
5.	सी.पी.	79	34	113
6.	डैफ / डम / एच.आई.	424	192	616
7.	मल्टी डिसऐबल	187	100	287
8.	अन्य	03	01	04
कुल		**5510**	**2251**	**7761**

जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन :

क्र.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्यां	कार्यक्रम संख्यां	लाभार्थी		
				पुरूष	महिला	कुल
1.	बीकानेर	05	08	3250	1980	5230
कुल		**05**	**08**	**3250**	**1980**	**5230**

समुदाय के साथ बैठको का आयोजन :

क्र.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्यां	बैठक संख्यां	लाभार्थी		
				पुरूष	महिला	कुल
1.	बीकानेर	05	280	9897	4358	14255
कुल		**05**	**280**	**9897**	**4358**	**14255**

जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजन :

क्र.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्यां	बैठक संख्यां	लाभार्थी		
				पुरूष	महिला	कुल
1.	बीकानेर	05	95	698	298	996
कुल		**05**	**95**	**698**	**298**	**996**

आर्थिक पुर्नवास/आजीविका से जोडे गये दिव्यांगजनों का विवरण :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	आजीविका से जोडे गये विकलांगों की संख्या			विशेष विवरण
			पुरूष	महिला	कुल	
1.	बीकानेर	05	60	14	74	आजीविका से जोडने के तहत विकलांगजनों को किराणा व जनरल स्टोर, मनिहारी दुकान, आटा चक्की, सिलाई कार्य इलेक्ट्रीशियन का कार्य कृषि कार्य एवं पशुपालन कार्य के लिए प्रशिक्षित करके कार्य शुरू करवाया गया है और नियमित रूप से कार्य कर रहे है।
कुल		**05**	**60**	**14**	**74**	

विकलांग मंच की ब्लॉक स्तरीय बैठकों का विवरण :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	बैठक संख्या	सम्भागियों की संख्या		
				पुरूष	महिला	योग
1.	बीकानेर	05	56	705	185	890
कुल		**05**	**56**	**705**	**185**	**890**

विकलांग मंच की जिला स्तरीय बैठकों का विवरण :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	बैठक संख्या	सम्भागियों की संख्या		
				पुरूष	महिला	योग
1.	बीकानेर	05	04	92	39	131
कुल		**05**	**04**	**92**	**39**	**131**

विश्व विकलांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	आयोजित कार्यक्रम संख्या	सम्भागियों की संख्या		
				पुरूष	महिला	योग
1.	बीकानेर	05	05	233	39	272
कुल		**05**	**05**	**233**	**39**	**272**

परियोजना के तहत आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण विवरण :

क.स.	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण का मुख्य विशय	सम्भागी संख्या
1	होटल इण्डियाना प्राईड, जयपुर प्रथम एवं द्वतीय चरण	व्यवसायिक योजना बनाने हेतु कौशल एवं क्षमता विकास	32
कुल			**32**

परियोजना के तहत आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षणों का विवरण : :

क्र.स.	प्रशिक्षण स्थान व दिनांक	प्रशिक्षण का मुख्य विषय	सम्भागी संख्या		
			पुरूष	महिला	योग
1.	रमन आई.टी.आई.कॉलेज, श्रीडूंगरगढ दिनांक : 08–17 जून 2016	10 दिवसीय घरेलू बिजली उपकरण मरम्मत प्रशिक्षण	20	00	20
2.	रमन आई.टी.आई.कॉलेज, श्रीडूंगरगढ दिनांक : 20–26 जून 2016	07 दिवसीय प्लम्बर प्रशिक्षण	20	00	20
3.	श्री वीा तेजा मन्दिर, श्रीडूंगरगढ दिनांक : 21–23 एवं 24–26 अगस्त 2016 दिनांक : 22–24 सितम्बर 2016 एवं दिनांक 10–12 दिसम्बर 2016	03 दिवसीय उन्नत पशु प्रबन्धन प्रशिक्षण	99	08	107
कुल			**139**	**08**	**147**

स्वंय सहायता समूहों का विवरण :

क्र.स.	विकासखण्ड का नाम	समूह संख्यां	कुल सदस्य संख्या			समूह में विकलांग सदस्य संख्या		
			पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1.	श्रीडूंगरगढ	08	49	06	55	36	06	42
2.	बीकानेर	07	32	20	52	32	11	43
3.	लूणकरणसर	08	37	05	42	37	05	42
4.	कोलायत	03	12	03	15	12	03	15
5.	नोखा	06	24	06	30	24	06	30
कुल		**32**	**154**	**40**	**194**	**141**	**31**	**172**

स्वंय सहायता समूहों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण :

क्र. स.	प्रशिक्षण का नाम	आयोजित प्रशिक्षण संख्या	सम्भागियों की संख्या		
			पुरूष	महिला	योग
1.	समूह प्रबन्धन एवं नेतृत्व विकास	01	54	32	86
कुल		**01**	**54**	**32**	**86**

जिला विकलांग अधिकार मंच के लिए आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण :

क्र.स.	प्रशिक्षण का नाम	आयोजित प्रशिक्षण संख्या	सम्भागियों की संख्या		
			पुरूष	महिला	योग
1.	नेतृत्व विकास प्रशिक्षण	01	55	08	63
2.	अधिनियम, कानून एवं पैरवी प्रशिक्षण	01	04	01	05
3.	व्यवसायिक योजना निमार्ण प्रशिक्षण	01	04	01	05
कुल		**03**	**63**	**10**	**73**

सरकारी सेवाओं से जोडे गये लाभार्थियों का विवरण : अप्रेल 2016–मार्च 2017

क्र.स.	विवरण	लाभान्वितों की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल
1.	मेडिकल प्रमाण पत्र	65	21	86
2.	रेल पास	20	05	25
3.	बस पास	75	30	105
4.	पेन्शन	113	48	161
5.	मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना	72	11	83
6.	सहायक उपकरण–ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, वैशाखी, हियरिंग ऐड, कृत्रिम हाथ पैर व अन्य	155	45	200
7.	मोटराईज्ड ट्राई साईकिल	20	05	25
8.	पालनहार योजना	46	13	59
9.	नरेगा	74	27	101
10.	प्रधानमंत्री आवास योजना	06	00	06
11.	विकलाग विवाह सहायता	02	00	02
12.	कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए चिन्हित लोगो की संख्या	70	22	92
13.	कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगो की संख्या	60	14	74
14.	आजीविका से जोडने हेतु चिन्हित किये गये लोगो की संख्यां	125	65	190
15.	सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक पुर्नवास/आजीविका से जोडा	86	20	106
16.	स्वयं सहायता समूह संख्या	31	01	32
17.	स्वयं सहायता समूह बैंक खाता संख्या	25	01	26
18.	स्वंय सहायता समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत खाता संख्या	55	21	76
19.	सर्वशिक्षा अभियान के सहयोग से बी.एल.वी. एसेसमेंट शिविर में उपकरण हेतु बच्चों का चिन्हिकरण किया गया	62	08	70
20.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से उपकराण वितरण हेतु विकलांगजनों का चिन्हिकरण किया गया	145	20	165

राज्य स्तरीय स्टेक होल्डरस् के साथ कार्यशाला का आयोजन :

श्री धन्नाराम पुरोहित, आयुक्त, विशेष योग्यजन, जयपुर की अध्यक्षता में एक दिवसीय राज्य स्तरीय स्टेक होल्उरस् कार्यशाला का आयोजन 10 नवम्बर 2016 को जयपुर में किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं एवं जिला विकलांग अधिकार मंच से जुडे 42 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिस में 06 महिलाएं शामिल थी। इस कार्यशाला का मुख्य उददेश्य आजीविका मैपिग के तहत राजस्थान के 5 जिलों यथा बीकानेर, चितौडगढ, सिरोही, उदयपुर एवं डूंगरपुर किये गये सर्वे रिर्पोट एवं सर्वे फाइन्डिग को शेयर करना एवं सभी स्टेक होल्डरस् को सहयोग के लिए संवेदनशील बनाना। इस कार्यशाला के समापन अवसर पर सम्बोधित करते हुएं आयुक्त महोदय ने सभी सम्भागियों को विकलांगजनों के लिए बिना किसी भेदभाव के प्राथमिकता के साथ प्रभावी एवं परिणाम जनक कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुएं कहा कि आज भी इस वर्ग के लिए सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास को लेकर कार्य करने की अति आवश्यकता है। हम सभी मिलकर इस वर्ग को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कार्य करेगे तभी यह वर्ग प्रगति की ओर बढ सकेगा।

विकलांगों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को लेकर कार्यशाला का आयोजन :

श्री हरफूल पंकज, उपायुक्त, विशेष योग्यजन, जयपुर की अध्यक्षता में विकलांगो के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को लेकर राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 29 दिसम्बर 2016 को जयपुर में किया गया। इस कार्यशाला में 35 लोगो ने भाग लिया। जिस में 04 महिलाएं शामिल थी। इस कार्यशाला का मुख्य उददे्श्य विकलांगो के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण को सरकार के द्वारा संचालित सभी विकास एवं गरीबी उन्नमूलन की योजनाओं में लागू करवाना सुनिश्चित किया जाना था। इस कार्यशाला में विकास एवं गरीबी उन्नमूलन से सम्बन्धित योजना के तहत मिलने वाले 3 प्रतिशत आरक्षण को लेकर बीकानेर एवं चितौडगढ जिले का प्रस्तुतीकरण किया। जिसमें पाया कि किसी भी विकास एवं गरीबी उन्नमूलन की योजना के तहत विकलांगों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था की पालना सुनिश्चित करने का सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

इस कार्यशाला के बाद विकलांगो के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त, विशेष योग्यजन, जयपुर के प्रयासों से सरकार के द्वारा संचालित '' मनरेगा योजना '' के तहत सभी विकलांगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान के द्वारा सभी जिला कलेक्टर को '' मनरेगा योजना '' के तहत विकलांगों को रोजगार प्रदान करने के लिए निर्देशित कर, इसे सुनिश्चित करने के लिए पाबन्द किया गया।

जिला विकलांग अधिकार मंच सदस्यों के लिए भ्रमण का आयोजन :

परियोजना के तहत दिनांक 20–28 नवम्बर 2016 तक के लिए साईटसेवर्स के वितीय सहयोग से उडीसा राज्य में संचालित आजीविका संवर्द्वन एवं जिला विकलांग अधिकार मंच सशक्तिकरण के कार्यो को देखने व समझने के लिए जिला विकलांग अधिकार मंच के सदस्यों एवं परियोजना स्टाफ का भ्रमण करवाया गया। जिसके तहत भ्रमण टीम के सदस्यों के द्वारा उडीसा के 2 जिलों यथा गंजाम एवं गजपति जिलों में साईटसेवर्स के द्वारा संचालित सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास तथा सशक्तिकरण की गतिविधियों का भ्रमण करके दल के द्वारा जाना व समझा गया। इस भ्रमण कार्यक्रम में 14 जिला विकलांग अधिकार मंच सदस्य एवं 02 स्टाफ ने भाग लिया। जिसमें जिला विकलांग अधिकार मंच, बीकानेर से 02 महिलाएं भी शामिल थी।

चाइल्ड हैल्प लाइन,1098

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर जिला

वितीय सहयोग : चाइल्ड इण्डिया फाउण्डेशन

परियोजना अवधी : अप्रेल 2016–मार्च 2017

सहयोगी संस्थाएं

उरमूल सेतु संस्थान ,लूणकरणसर
उरमूल सीमान्त समिति ,बज्जू
उरमूल ज्योति संस्थान ,नोखा

परिचय :

उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर द्वारा अगस्त 2011 से बीकानेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण अंचलो में अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर चाइल्ड लाइन 1098 का संचालन किया जा रहा है। चाइल्ड लाइन की शुरूआत से ही बीकानेर के शहरी एवं दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चाइल्ड लाइन का प्रचार प्रसार टीम के द्वारा नियमित व लगातार किया जा रहा है। जिससे क्षेत्र के लोगो में इस कार्यक्रम में बारे में जागरूकता आई है और इसका परिणाम है कि हर गुमशदा, पीडित व समस्याग्रस्त बच्चों की जानकारी तुरन्त 1098 पर चाइल्ड लाइन को मिल रही है। इसके साथ साथ बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रो से बाल विवाह रूकवाने के लिए जन समुदाय व स्वंय बालक–बालिकाओं के संदेश चाइल्ड लाइन को प्राप्त होने लगे है। इस प्रकार से चाइल्ड लाइन की टीम बीकानेर जिले में पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्य उद्देश्य :

- किसी भी पीडित बच्चे व जन समुदाय के द्वारा दी गई सूचना को प्राप्त कर कम से कम समय में बच्चें तक पहुंचना और उसकी सहायता करना।
- समस्याग्रस्त व असामाजिक गतिविधियो में लिप्त बच्चों का मार्गदर्शन व सहयोग करना तथा सलाह देना।
- चाइल्डलाइन निःशुल्क फोन सेवा 1098 का प्रचार–प्रसार करना।
- बाल मजदूर, संरक्षण और देखभाल के लिए जरूरत मंद बच्चों की पहचान करना व इसकी सूचना समवर्गी विभागो को देना।
- बच्चों के लिए काम कर रहे विभागो से समन्वयन स्थापित करना।
- बाल मजदूरी में लिप्त बच्चों को मुक्त करवाना।
- समस्याग्रस्त, पीडित और शोषण के शिकार बच्चों को मुक्त करवाना व समवर्गी विभागो के सहयोग से पुर्नवासित करवाना तथा निरंतर उनका फॉलोअप करना।
- जरूरत मंद बच्चों को सरकार के द्वारा संचालित सेवाओं से जोडकर लाभान्वित करवाना।
- दर्ज किये गये प्रत्येक मामले का तत्काल फॉलोअप करना।
- चाइल्डलाइन में स्वैच्छिक सेवा देना वाले व्यस्क/विद्यार्थीयों को साथ जोड़ना।
- प्रत्येक बच्चें को आदर एवं आत्म सम्मान देना व दिलवाना।

1098 पर प्राप्त कॉल का विवरण :

केस प्रकार	माह अप्रेल 2016 से मार्च 2017	
1. हस्तक्षेप/सहायता		**कुल**
चिकित्सकीय सहायता	54	54
आश्रय	06	06
पुनर्वास	01	01
शोषण से रक्षा	112	112
मृत्यु सम्बधित	-	-
स्पॉनसरशिप	223	223
2. गुमशुदा बच्चो के मामले	**-**	**-**
लापता बच्चें	32	32
बच्चों के परिजनो द्वारा मांगी गई सहायता	22	22
3. भावनात्मक सहायता एवं मार्गदर्शन	110	110
कुल 1 से 3 तक	**560**	**560**
4. अन्य प्रकार	**-**	**-**
5. सूचना	891	891
सूचना व अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए	986	986
चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी	375	375
प्रशासनिक कॉल	126	126
कुल – 3 से 5 तक	**2938**	**2938**

दर्ज मामलो का विवरण :

माह अप्रेल 2016 से मार्च 2017 तक चाल्इडलाइन में कुल 560 मामले दर्ज हुए जिस मे से 560 मामलो का निस्तारण किया जा चुका है। अभी एक भी मामले शेष है जिनका का फॉलोअप लेना है।

गुमशुदा मामलो का विवरण : माह अप्रेल 2016 से मार्च 2017 तक चाइल्डलाइन द्वारा बाल कल्याण समिति के माध्यम से 29 गुमशुदा बालक–बालिकाओं को आश्रय दिलवाया गया व उनके परिजनो से मिलवाया गया। विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	**आश्रय दिलवाने की अवधी**	**बालक/बालिकाओं की संख्या**		
		बालक	बालिका	कुल
1.	अप्रेल 2016–31 मार्च 2017	16	13	29

क्र. सं.	केस आई. डी.	दिनांक	बालिक/बालिका का नाम	लिंग	उम्र
1.	BIKA/50537	07.04.2016	मनीषा	F	15 वर्ष
2.	BIKA/52211	19.04.2016	अमित	M	09 वर्ष
3.	BIKA/54889	07.05.2016	समरीया कुमारी	F	17 वर्ष
4.	BIKA/57146	21.05.2016	बसन्ती	F	07 वर्ष
5.	BIKA/58178	28.05.2016	इन्दरा शर्मा	F	12 वर्ष
6.	BIKA/58466	30.05.2016	विमद्वित दिव्याग	M	08 वर्ष
7.	BIKA/60288	02.05.2016	मनीषा	F	11 वर्ष
8.	BIKA/63436	29.06.2016	10 दिन की बच्चे रेल में मिली	F	10 दिन
9.	BIKA/64266	05.07.2016	3/4 दिन झाड़ियो में मिली	F	3/4 दिन
10.	BIKA/65198	10.07.2016	शलेन्द्र	M	12 वर्ष
11.	BIKA/66172	16.07.2016	सुनील	M	08 वर्ष
12	BIKA/66417	17.07.2016	ऐसान	M	10 वर्ष
13	BIKA/67384	22.07.2016	रवि	M	14 वर्ष
14	BIKA/69946	06.08.2016	विमद्वित दिव्याग	F	15 वर्ष
15	BIKA/70650	09.08.2016	रामा	M	15 वर्ष
16	BIKA/72566	20.08.2016	आरिफ खान	M	10 वर्ष
17	BIKA/74365	30.08.2016	सागर	M	13 वर्ष
18	BIKA/75190	04.09.2016	कुष्णा	M	10 वर्ष
19	BIKA/76184	11.09.2016	पूजा	F	14 वर्ष
20	BIKA/76357	12.09.2016	सुमित	M	6 वर्ष
21	BIKA/78020	23.09.2016	अमित	M	11 वर्ष
22	BIKA/87319	29.11.2016	रूपाली	F	15 वर्ष
23	BIKA/88624	08.12.2016	अर्जून	M	10 वर्ष
24	BIKA/93071	05.01.2017	अर्पणा	F	15 वर्ष
25	BIKA/94161	14.01.2017	गुलाम असरफ	M	14 वर्ष
26	BIKA/94979	21.01.2017	सुरज	M	10 वर्ष
27	BIKA/95189	22.01.2017	हर्षित	M	15 वर्ष
28	BIKA/96626	01.02.2017	सुप्रिया गौड़	F	14 वर्ष
29	BIKA/101751	06.03.2017	पिकी	F	16 वर्ष

पुर्नवास विवरण : माह अप्रेल 2016 से मार्च 2017 तक स्थानीय किशोर गृह एवं नारी निकेतन में आश्रय पाएं बालक–बालिकाओं का पुर्नवास चाइल्ड लाइन के सहयोग से करवाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

ब्लॉक / क्षेत्र	अस्थाई आश्रय		अस्थाई आश्रय		**अस्थाई आश्रय** अप्रेल 2016 से मार्च 2017		
जिला बीकानेर / शहरी क्षेत्र	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	कुल
	10	08	0	0	**10**	**08**	**18**

आउटरीच गतिविधियां :

माह अप्रेल 2016 से मार्च 2017 तक कुल 240..आटरीच गतिविधियो का संचालन किया गया जिसमें विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन,बस अड्डे, महापेन्शन अभियान कैम्प एवं जिले के अन्य सार्वजनिक स्थल शामिल है जिसका विवरण इस प्रकार से है :

ब्लॉक / क्षेत्र	**अप्रेल 2016 से मार्च 2017**	**कुल**
जिला बीकानेर / शहरी क्षेत्र	240	**240**

बैठक गतिविधियां :

संस्थान	**बैठक, अप्रेल 2016 से मार्च 2017**	
	साप्ताहिक	**मासिक**
कोलेब	84	84
बाल कल्याण समिति	54	54
किशोर आश्रय गृह	32	32
नारी निकेतन बालिका गृह	00	00
जिला बाल संरक्षण ईकाइ बैठक	09	09

ई–शक्ति परियोजना

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर जिले के सभी ब्लॉक श्रीडूगरगढ, लूणकरणसर, नोखा, श्रीकोलायत, खाजूवाला और बीकानेर ग्रामीण

वितीय सहयोग : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2016–मार्च 2017

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य : ई–शक्ति परियोजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के डिजीटिलाइजेशन का कार्य किया जाना है। इस परियोजना के तहत नाबार्ड के द्वारा राजस्थान के 2 जिले बीकानेर एवं झालावाड में स्वयं सहायता समूहों का डिजिटिलाइजेशन करने का निर्णय लिया गया है। यह गर्व की बात है कि राजस्थान के 2 जिलें में से एक हमारा जिला भी नाबार्ड के द्वारा डिजिटिलाइजेशन के तहत शामिल है। बीकानेर में स्वयं सहायता समूहों के डिजिटिलाइजेशन का कार्य उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर करे सौंपा गया है। जिसके तहत बीकानेर पूरे जिले के 4165 स्वयं सहायता समूहों का डिजिटिलाइजेशन किया जाना है।

परियोजना के कार्यो का विवरण :

- जानकारी एकत्रित करना
- एनिमेटर्स का चयन
- ऐनिमेटर्स प्रशिक्षण
- ऐनिमेटर्स को टेबलेट वितरण
- बैठके प्रशासन एवं नाबार्ड तथा बैकर्स के साथ
- बैठके संस्था व ऐनिमेटर्स के साथ
- कार्य प्रगति ब्लॉक वार
- कार्य पूर्णता पर बैठक
- अन्य जानकारी
- पुरूष्कार का विवरण

परियोजना के तहत एनिमेटर्स चयन और प्रशिक्षण :– बीकानेर जिले के सभी स्वय सहायता समूह के डिजिटिलाईजेशन के तहत 138 एनिमेटर्स का प्रशिक्षण किया गया, प्रशिक्षण में ऑफलाइन डाटा का सकलन करने के बारे में विस्तार से सभी को बुक लेट के बारे में बताया गया।

क्र स	ब्लाक विवरण	प्रशिक्षण स्थल	उपस्थित एनिमेटर्स
1.	बीकानेर ग्रामीण	उरमूल ट्रस्ट कार्यालय,बीकानेर	24
2.	लूणकरणसर	उरमूल सेतू कार्यालय, बीकाानेर	28
3.	नोखा	सामूदायिक भवन नोखा	14
4.	श्रीकोलायत	उरमूल सिमान्त समिति, कार्यालय बज्ज	26
5.	खाजूवाला	पंचायत भवन कार्यालय खाजूवाला	15
6.	श्रीडॅगरगढ	तेजा मन्दिर श्रीडूॅगरगढ	22
7.	पॉचू	सामूदायिक भवन नोखा	09
कुल			**138**

परियोजना के तहत स्वय सहायता समूह के डाटा संकलन विवरण :

क्र स	ब्लाक विवरण	स्वय सहायता समूह की संख्या	एनिमेटर्स
1.	बीकानेर ग्रामीण	735	24
2.	लूणकरणसर	845	28
3.	नोखा	397	14
4.	श्रीकोलायत	797	26
5.	खाजूवाला	445	15
6.	श्रीडॅगरगढ	670	22
7.	पॉचू	276	09
कुल		**4165**	**138**

परियोजना के तहत एनिमेटर्स का ई–शक्ति टेबलेट अपडेशन प्रशिक्षण :

4165 स्वय सहायता समूह के डाटा संकलन के बाद में सभी एनिमेटर्स को एक दिवसीय टेबलेट के द्वारा ई–शक्ति अप के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफ लाइन डाटा अपडेशन का कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया सभी एनिमेटर्स को लगातार छ माह तक प्रत्येक एनिमेटर्स को 30–30 स्वय सहायता समूह का कार्य सोपा गया ।

परियोजना के तहत डाटा अपडेशन विवरण

क्र स	विवरण	मार्च 2016 से अप्रेल 2017
1.	स्वय सहायता समूह डाटा संकलन	4165
2.	कुल सदस्य	41.260.00
.कुल बचत		**5.34.87.307.00**
3.	लोन समूह	760
4.	आपसी लेनदेन सदस्य	6272
5.	आपसी लेनदेन राशी	**2.75.73.295.00**
6.	ऋण आवेदन	116

परियोजना के तहत बैकर्स का प्रशिक्षण : बीकानेर जिले के सभी बैकर्स के ब्राच मैनेजर का ई–शक्ति ऑनलाइन एपलिकेशन के बारे में और बैक केस पोर्टल को एक्सेस करे इसके बारे में बीकानेर के इजिनियरिग कालेज में नाबार्ड के सहयोग से किया गया।

परियोजना के तहत ई–शक्ति पुरस्कार : नाबार्ड की ई–शक्ति परियोजना स्वय सहायता समूह के डिजिटिलाईजेशन में भारत के 23 जिलो में राजस्थान के दो जिले पायलेट प्रोजेक्ट के तहत झालावाड और बीकानेर का चयन किया गया था जिसमें राज्य पुरस्कार में प्रथम उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर को चुना गया था।

स्वयं सहायता समूह गठन एवं क्रेडिट लिकेंज परियोजना

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर जिले के ब्लॉक श्रीडूंगरगढ व बीकानेर

वितीय सहयोग : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

परियोजना प्रारम्भ : फरवरी 2013

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2016–मार्च 2017

परियोजना परिचय :

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से बीकानेर जिले के बीकानेर व श्री डूँगरगढ़ विकासखण्ड में 300 स्वयं सहायता समूह के गठन का कार्य फरवरी 2013 से संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत नये स्वयं सहायता समूह बनाने,समूहों के बैक खाते खुलवाने व ऋण से संबद्व करने ,समूहो की ऑडिट रेटिग करना, गठित समूहो के सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक के निजी खाते खुलवाने, माइक्रो इंश्योरेस/स्वावलम्बन (पेन्शन योजना) से जोडना, समूहो का पोषण, लेखा–जोखा रखने से सम्बन्धित कार्य, बहीखाता व रिकार्ड संधारण के बारे में समूह के सदस्यों व लीडर्स इत्यादि को प्रशिक्षित करना है ।

परियोजना के उद्देश्य :

- परियोजना के तहत गाव स्तर के गरीब, जरूरतमंद व आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की महिला,पुरूष या विकलांग व्यक्तियों का स्वयं सहायता समूह तैयार करना।
- गठित समूहों की प्रतिमाह नियमित रूप से मासिक बैठक का आयोजन व नियमित बचत करना।
- गठित समूहो को बैंको के साथ लिकेंज करना।
- सभी सदस्यो को बैकिग से जोड़कर सरकार की योजनाओ के तहत लाभान्वित करवाना।
- समूहो को क्रेडिट लिकेंज करना व इसके माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत व सशक्त बनाना।
- समूहो को आयवर्धन गतिविधियों से जोडकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास करना।

परियोजना के तहत गठित समूहो का विवरण :

क्र.स.	विकास खण्ड का नाम	समूहो की संख्या	सदस्य संख्या
1	बीकानेर	04	26
2	श्रीडूंगरगढ	06	39
कुल		**10**	**65**

परियोजना के तहत गठित समूहो की बचत का विवरण :

क्र.स.	विकास खण्ड का नाम	समूहो की संख्या	बचत राशि
1	बीकानेर	04	17.800
2	श्रीडूंगरगढ	06	25.000
कुल		**10**	**42.800**

परियोजना के तहत गठित समूहो के बैक खातों का विवरण :

क.स.	विकास खण्ड का नाम	समूहो की संख्या	सदस्य संख्या
1	बीकानेर	04	26
2	श्रीडूंगरगढ	06	39
कुल		**10**	**65**

समूह की नियमित मासिक बैठक :

परियोजना के तहत गठित सभी समूहों की नियमित रूप से मासिक बैठको का आयोजन किया जाता है । समूहो की इन मासिक बैठको में अब तक मुख्य रूप से निम्न विषयो/मुद्दो पर चर्चा की गई जो कि निम्न प्रकार से है :

- समूह की नियमित बैठक व मासिक बचत के बारे में जानकारी व चर्चा।
- सरकारी योजनाओं की जानकारी।
- समूह के पदाधिकारियो व सदस्यो की जिम्मेदारी ,कर्तव्य एवं उतरदायित्व के बारे में चर्चा।
- बैंक में खाता खुलवाने के बारे में जानकारी व चर्चा।
- आपसी लेनदेन एवं उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी व चर्चा।
- समूह का रिकार्ड रखना एवं रिकार्ड संधारण के बारे में जानकारी।
- पशु स्वास्थ्य शिविर एवं टीकाकरण के बारे में जानकारी एवं चर्चा।
- मौसमी बीमारियों के बारे मे जानकारी एवं विचार विमर्श।
- परियोजना के तहत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों के बारे में जानकारी एवं चर्चा।
- बैंक से लेनदेन व बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी एवं चर्चा।
- बैंक से ऋण उपयोग एवं बैंक की किश्ते समय पर जमा करवाने के बारे में चर्चा।
- समूह की मजबूती के बारे में विचार विमर्श।
- सदस्यों की व्यक्तिगत बचत के बारे में जानकारी एवं चर्चा।

मॉडल फार्म विकास एवं टिकाऊ खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र : कोलायत, ब्लॉक, जिला–बीकानेर

परियोजना प्रारम्भ : अप्रेल 2016

वितीय सहयोग : कैफ (CAF)

परियोजना प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2016–मार्च 2017

मॉडल फार्म विकास एवं टिकाऊ खेती के लिए किसानो को प्रशिक्षित करने के उददेश्य से उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर के द्वारा कैफ के वितीय सहयोग से कार्यक्रम का संचालन बीकानेर जिले के कोलायत ब्लॉक में किया जा रहा है।

संस्था के द्वारा अप्रेल 2016 से इस कार्यक्रम का संचालन बीकानेर जिले के ब्लॉक कोलायत के 15 गांवो में किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- मॉडल फार्म तैयार एवं विकसित करना।
- वर्षा जल संरक्षण एवं सोलर ग्रिड की स्थापना करना।
- 500 किसानों को टिकाऊ एवं जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित करना।
- जैविक एवं टिकाऊ खेती की व्यवहारिक जानकारी के लिए किसानो का भ्रमण करवाना।
- प्रशिक्षण के उपरान्त फार्म फिल्ड पर किसानो को व्यवहारिक रूप से जैविक एवं टिकाऊ खेती करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- जैविक खेती के लिए किसानों को मानसिक रूप से तैयार करके जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना।

गांवो एवं किसानो चयन :

कार्यक्रम संचालित करने के लिए कोलायत ब्लॉक के 15 गांवो का चयन करके 4 कलस्टर में विभाजित किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	कलस्टर का नाम	गांवों की संख्या	चिन्हित किसानों की संख्यां
1	चारणवाला	08	150
2	छिला कश्मीर	02	100
3	बज्जू	02	100
4	गिराजसर	03	150
	कुल	**15**	**500**

परियोजना के तहत किये गये कार्यो का विवरण :

○ जल संरक्षण हेतु कुण्ड निर्माण विवरण :

जल संरक्षण हेतु पूर्व में निर्मित 2 जलकुण्डों के रिनोवेशन कार्य करवाया गया है। इन कुण्डों के रिनोवेशन से वर्षा जल संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा इस जल का उपयोग बज्जू कैम्पस के मॉडल फार्म में सिंचाई में उपयोग किया जायेगा तथा मॉडल फार्म को नियमित रूप से संचालित किया जाकर क्षेत्र किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। जिससे क्षेत्र के किसान इस मॉडल फार्म के माध्यम से सीख लेकर अपने खेत पर कम वर्षा में होने वाली व जैविक फसल लेने की दिशा में कार्य कर सके।

○ मॉडल फार्म विकास की जानकारी एवं विवरण

संस्था के बज्जू स्थित कैम्पस में एक मॉडल फार्म विकसित किया गया। इस फार्म पर कम वर्षा से होने वाली व जैविक खेती का कार्य किया जा रहा है। इस मॉडल फार्म का मुख्य उददे्श्य क्षेत्र के किसानों को प्रोत्साहित करना है ताकि क्षेत्र के किसान इस फार्म से सीख कर अपने खेतो पर भी कम वर्षा से होने वाली व जैविक फसल को लेने के लिए अपने सोच एवं समझ को विकसित कर सके। अब तक क्षेत्र के 500 किसानों ने मॉडल फार्म का भ्रमण करके फार्म पर उत्पादित की जा रही फसलों एवं तकनीकी की जानकारी हासिल की है। इस यह पता चलता है कि क्षेत्र के किसान जैविक खेती के क्षेत्र में अपनी रूचि प्रदर्शित कर रहे है।

○ किसानों के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन :

थार मरूस्थल में टिकाऊ एवं जैविक खेती करने के लिए परियोजना के तहत चिन्हित 15 गांवो के 598 किसानों को स्थाई खेती के प्रशिक्षित किया गया है। विभिन्न चरणों में आयोजित इन प्रशिक्षणों के दौरान किसानों को मॉडल फार्म का भ्रमण करवा कर व्यवहारिक रूप से की जा रही जैविक खेती के बारे में अवगत करवा कर प्रेरित व प्रोत्साहित किया गया है।

○ किसानों एवं परियोजना टीम का भ्रमण :

परियोजना के तहत कार्यरत 03 टीम सदस्यों एवं 03 प्रगतिशील किसानों का हनुमानगढ एवं सीकर के प्रगतिशील किसानों के द्वारा तैयार किये गये मॉडल कृषि फार्म का भ्रमण करवाया गया।

इस भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम हनुमानगढ में स्थित किसनाराम जाखड के मॉडल फार्म का भ्रमण किया गया। इस फार्म में जैविक फसल व फल उत्पादन के कार्यो एवं जैविक खाद, गौमूत्र, गोबर घास की हरी पतियों से फसलों के लिए बनाई जा रही देशी दवाईयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद सीकर के प्रगतिशील किसान सुण्डाराम के मॉडल फार्म का भ्रमण किया। इस फार्म में ग्वार की जैविक फसल एवं हाईब्रीड बीजों को तैयार करने के बारे में जानकारी हासिल की। इसी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सीकर के प्रगतिशील किसान श्री राजचन्द्र एवं श्री झाबरमल के मॉडल कृषि फार्म का भ्रमण किया गया। इन मॉडल कृषि फार्म में जैविक तरीके से तैयार अनार के बीगचे को देखा जिसमें करीब 300 पौधे किसान के द्वारा तैयार किये गये है। इसके साथ ही जैविक खेती की नई ब्रिड व गाजर पर विशेष रूप से तैयार की गई जैविक पौध को देखने के साथ देशी तरीके से खाद तैयार करने की विधि इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल की गई।

इस भ्रमण के दौरान भ्रमण दल के सदस्यों प्रगतिशील किसानों के द्वारा तैयार किये गये मॉडल कृषि फार्म में उत्पादित किये जा रही विभिन्न फसलों एवं फलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही फार्म का भ्रमण करके फार्म पर उत्पादित फसलों एवं फलों की विभिन्न किस्मों की खेती को देखा।

- **सोलर माइक्रो ग्रिड स्टेशन :**

  संस्था के बज्जू स्थित कैम्पस में सोलर माइक्रो ग्रिड स्टेशन 5 किलोवाट का स्थापित किया गया जिससे संस्था के बज्जू कैम्पस के कार्यालय व आयवर्द्धन कार्यालय एवं स्टोर के लिए नियमित रूप से बिजली की सप्लाई प्राप्त हो रही है। इस सोलर माइक्रो ग्रिड स्टेशन की सफलता के बाद एक ओर नया सोलर माइक्रो ग्रिड स्टेशन स्केलिंग डिजाइन तैयार किया जा चुका है और परियोजना को मंजूरी के लिए एसईसीआई (सौर अनुमोदन प्राधिकरण) को भेजा गया है। यह लगभग 6 किलोवाट की परियोजना होगी और अनुमति प्राप्त होने के तुरन्त बाद इसका कार्य शुरू हो जायेगा।

- **खेती योग्य भूखण्ड तैयार करना :**

  दूसरा खेती योग्य भूखण्ड दो महीने पहले विकसित किया गया था। जिसमें भूमि स्तर और भूमि सुधार के बाद पौधरोपण किया गया है और सिंचाई तंत्र भी स्थापित किया गया है। आने वाले महीनों में अतिरिक्त भूमि की परतें उठाई जायेगी। इस भूखंड के लिए हर्बल और सब्जी फोकस वाले क्षेत्र में कार्य किया जायेगा।

- **अजोला यूनिट की स्थापना :**

  परियोजना क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती एवं अजोला के बारे में प्रशिक्षित करने के साथ ही क्षेत्र में 27 अजोला यूनिट की स्थापना किसानों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में की है। अजोला यूनिट स्थापना से क्षेत्र के किसानों में इसकी उपयोगिता व महत्व को समझने में काफी असानी हुई है और किसान इनका नियमित फायदा भी लेने लगे है।

- **युवा विधार्थियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन :**

  परियोजना संचालित क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विधालयों के युवा विधार्थियों के लिए जैविक खेती एवं अजोला को लेकर प्रशिक्षण किया गया। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षेत्र के सरकारी विधालय में अध्ययनरत 298 युवा विधार्थियों ने भाग लेकर जैविक खेती एवं अजोला के बारे में जानकारी हासिल की है। इन युवा विधार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान परियोजना के तहत तैयार किये गये मॉडल फार्म का भ्रमण करवा कर व्यवहारिक रूप से जैविक खेती एवं अजोला की कार्य प्रक्रिया, उपयोगिता एवं महत्व के बारे में अवगत करवाने के साथ ही अपने खेत पर जैविक खेती एवं अजोला यूनिट तैयार करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया गया।

- वेटरनरी विश्वविधालय, बीकानेर के द्वारा आयोजित 2 प्रशिक्षणों में परियोजना टीम के 02 सदस्य एवं परियोजना क्षेत्र 10 किसानों ने भाग लेकर जैविक खेती, अजोला यूनिट स्थापना एवं कृषि के क्षेत्र में आ रही विभिन्न नई तकनीकी के बारे में जानकारी हासिल की।

कशीदाकारी क्षमतावधर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र : कोलायत ब्लॉक, जिला बीकानेर

परियोजना प्रारम्भ : अप्रेल 2016

वितीय सहयोग : कैफ (CAF)

परियोजना प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2016–मार्च 2017

दस्ताकार (कशीदाकारी) क्षमतावर्धन परियोजना के लिए महिलाओं एवमु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर के द्वारा कैफ के वितिय सहयोग से कार्यक्रम का संचालन बीकानेर,जोधपुर एवम् चुरू जिलों में 1 नवम्बर 2016 से 31 अगस्त 2017 तक किया गया।

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- 520 नए समुदाय के सदस्यों को कटाव, बीडवॉल सिलाई बंधेज और रंगाई के हस्त शिल्प से जोड़ना।
- 320 कारीगरों के उद्यम कौशल विकसित करना और बाजार और व्यापार की मुख्यधारा में एकीकृत करना।
- अधिक गतिशील और टिकाऊ विकास की दिशा में आजिविका की पहल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मयम्मान और वित्तिय स्वन्त्रता से लैस करना।
- कारीगरों के व्यापार में वृद्वि, और शिल्प अर्थव्यवस्था से उद्यमियों को लैस करके, शहरी केन्द्रों की और ग्रामीण प्रयास को नियत्रित करने और कौशल की कमी को रोकने के लिए।
- ग्रामीण शिल्प कौशल में लगे समुदायों के सामाजिक विकास में सुधार।
- अपने प्रयासो की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण सभी कारीगरों के लिए नियमित काम सुनिश्चित करने के लिए नए मार्केटिग चैनल विकसित करना।

परियोजना के तहत किये गये कार्यो का विवरण :

1. नियमित समुदाय की बैठको का आयोजन करना और शक्तियों और कमजोरियों की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करना। इसने चयनित गावों में परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना विकसित करने में सहायता की। डेटा संग्रह में लाभार्थियों की पहचान और कारीगरों के डिजिटल डेटाबेस के विकास शामिल है।

2. नए कारीगरों के लिए 15 दिवसीय ग्रामीण स्तर का प्रशिक्षण कटाव, बीडवॉल सिलाई बंधेज में 512 नए कारीगरों के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा किया गया।
3. पुरानी कारीगरों के लिए 7 दिन अप–स्किलिग उत्पादन प्रशिक्षण संस्था ने कुल 320 के बाहर 328 कढाई कारीगरों के लिए कौशल सुधार प्रशिक्षण भी आयोजित किया।
4. संचार प्रशिक्षण संस्था ने 96 लोगो की एक विस्तृत 2 दिवसीय संचार प्रशिक्षण भी किया जिसमें प्रतिभागियों को स्पष्ट और सुसंगत संचार के महत्व को समझने में सक्षम किया गया था जो किसी भी स्तर पर आवश्यक रूप से विपणन एवं उत्पादन और व्यवसाय प्रबन्धंन के आधार बनाता है।
5. एटरप्राइज प्रबंधन और उत्पादन प्रबंधन प्रशिक्षण : एक भरोसेमद उत्पा विकसित करने के लिए आत्मविश्वास निर्माण अंतर–सामुदायिक सपर्क वितीय साक्षरता बैक और क्रेडिट योजनाओं की शुरूआत और महत्वपूर्ण उत्पादन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के लिए अन्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।
6. प्रशिक्षण के व्यवसाय विकास खण्ड में खेल के रूप में अनौपचारिक तरीके से बजठ और उत्पादन नियोजन, लागत और प्लानिग करने उपभोक्ताओं और प्रबंध वित के साथ बातचीत करने के सेट अप प्रक्रियाओं की ट्रेनिंग मिल सके।

चयनित गॉव एवम् संभागीयों की संख्या :

क्रं सं	गॉव का नाम	प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण दिंनांक (कब से कब तक)
1.	गोकुल	कशीदा	15.01.2017 से 29.01.2017
2.	भलूरी	बीड बॉल	04.02.2017 से 18.02.2017
3.	बधंली	कटाव	02.02.2017 से 16.02.2017
4.	पार्वती तलाई	कटाव	20.02.2017 से 03.03.2017
5.	नापासर	सिलाई	26.02.2017 से 27.03.2017
6.	7 ए.डी	कशीदा	28.02.2017 से 05.03.2017
7.	घंटियाली	सिलाई	02.03.2017 से 17.03.2017
8.	आडूरी	बीड बॉल	17.03.2017 से 31.03.2017
9.	भलूरी	कटाव	17.03.2017 से 31.03.2017

कार्यक्रम की उपलब्धियां :

एंटरप्राइज विकास :

- संस्था के द्वारा घंटियाली गांव के कारीगरों के लिए नई मशीनरी खरीदने और गांव के स्तर पर स्वतंत्र इकाई स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करने में मदद की है।
- कैफ इंडिया और एक्सेंचर परियोजना की सहायता से संस्था ने बज्जू गांव की दर्जा इकाई में नई मशीनरी लगवाई ताकि उन्हें अधिक ऑर्डर प्राप्त मिलें।
- नापासर गांव के कारीगरों ने प्रशिक्षण के बाद स्वंतत्र ऑर्डर प्राप्त करना शुरू कर दिया है। संस्था उन्हे बाजार लिंक विकसित करने और सीधें काम शुरू करने की प्रक्रिया में मदद कर रहा है।
- हमारे तीन पुराने गॉव जिन्हे एक्सेंचर परियोजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया था – 2 ए.डी. 2 डी.ओ और दंडकला, आज स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर चुके है।
- डेली तलाई के कारीगरों को भी सरकारी योजना से जोड़ा गया है ताकि ताकि वे गॉव में अपनी दुकान खोल सकें।
- बज्जू गॉव की सिलाई ट्रेनिग की एक प्रशिक्षिका – रूकसाना, को ट्रेनिग में इतना प्रोत्साहन मिला कि उसने ट्रेनिग के बाद अपना खुद का सिलाई स्कूल खोल दिया।

स्वतंत्र मार्केटिग :

- संस्था की मदद से लगभग 150 कारीगरों के कारीगरों का कार्ड बना दिया है ताकि डनहे सरकारी योजनाओं और विपणन नेटवर्क से जोड़ा जा सके।
- कारीगरों द्वारा बनाए गए नए उत्पाद

उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र : बीकानेर, बासवाडा, जैसलमेर, करौली, जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ

परियोजना प्रारम्भ : मार्च 2012

वितीय सहयोग : उषा इन्टरनेशनल

परियोजना प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2016–मार्च 2017

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- सिलाई प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्तियों की पहचान व प्रशिक्षण करवाना।
- ग्रामीण क्षेत्र में सिलाई के कार्य में रूचि रखने वाली महिलाओं की पहचान।
- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई कार्य के लिए प्रशिक्षण करवाना।
- प्रशिक्षण में प्रशिक्षित महिलाओं को नि : शुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध करवाना।
- प्रशिक्षित महिलाओं को गांव में सिलाई स्कूल चलाने के लिए तैयार करना।
- सिलाई स्कूल में आने वाली महिलाओं व बालिकाओं की पहचान करके सूची तैयार करना।
- प्रशिक्षित महिलाओं के माध्यम से गांवो में सिलाई स्कूल का संचालन करना।
- गांवो में संचालित स्कूल की नियमित रूप से मॉनिटरिग व प्रबन्धन करना।

सिलाई स्कूल संचालन का विवरण :

क.स.	विवरण	सिलाई स्कूलों की संख्या
1.	कोलायत, बीकानेर	19
2.	श्रीडूंगरगढ, बीकानेर	11
3.	लूणकरणसर, बीकानेर	05
4.	बीकानेर	**05**
5.	पोकरण, जैसलमेर	20
6.	श्रीगंगानगर	15
7.	हनुमानगढ	20
8.	नागौर	10
9.	बासवाडा	10
10.	जोधपुर	20
11.	करौली	10
12.	बाडमेर	10
	कुल	**140**

उपरोक्त विवरण के अनुसार 140 ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को गांवो में सिलाई स्कूल चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। ये प्रषिक्षित सभी महिलाएं अपने अपने गांवो में सिलाई स्कूल का संचालन नियमित रूप से कर रही है। जिनका प्रबन्धन व मॉनिटरिग भी नियमित रूप से संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उपरोक्त विवरण के मुताबिक संचालित 140 स्कूलों के माध्यम से 3563 बालिकाओं व महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण गांव स्तर पर दिया जा रहा है। इन 140 सिलाई स्कूलों का संचालन राज्य के 9 जिलो में उरमूल ट्रस्ट की सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

सेटरलाइट सिलाई स्कूल संचालन का विवरण :

क्र.स.	विवरण	सिलाई स्कूलों की संख्या
1.	कोलायत, बीकानेर	18
2.	श्रीडूंगरगढ, बीकानेर	13
3.	लूणकरणसर, बीकानेर	16
4.	बीकानेर	15
5.	पोकरण, जैसलमेर	47
6.	श्रीगंगानगर	77
7.	हनुमानगढ	75
8.	नागौर	38
9.	बासवाडा	32
10.	जोधपुर	52
11.	करौली	30
	कुल	**413**

उषा सिलाई स्कूल से महिलाओ को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाना और उनकी आजिविका को बढाने के साथ साथ गाव स्तर बालिका और महिलाओ को सिलाई के प्रशिक्षण देकर नये रोजगार उपलबध करवाने का लक्ष्य के अनुसार उरमूल के द्वारा परियोजना की शुरूआत मार्च 2016 से लेकर अप्रेल 2017 तक जो 413 नये सेटरलाइट स्कूलो में उषा सिलाई सेन्टर के बोर्ड और नये टीचर का प्रशिक्षण उषा सिलाई की और से करवाये गये, 413 सेटरलाइट स्कूलो में 585 महिला और लड़कियों का नामाकन कर प्रशिक्षण शुरू किया गया है।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र श्रीगंगानगर

परियोजना का कार्यक्षेत्र : श्रीगंगानगर

वितीय सहयोग : महिला एवं बाल विकास विभाग ,राजस्थान सरकार

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2016–मार्च 2017

प्रदेश में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों की रोकथाम और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत बीकानेर व जैसलमेर में उरमूल के द्वारा इन केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है ।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की मुख्य सेवाएं :

- पीडित महिला एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ विचार–विमर्श से समस्या का आकलन और समाधान करवाना।
- महिला की इच्छा पर सम्बन्धित प्रकरण में एफ.आई.आर दर्ज करवाना।
- जिला महिला सहायता समिति के माध्यम से महिला को उपयुक्त सहायता दिलवाना।
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में सहयोग करना। जहॉ किसी प्रत्यर्थी के लिए न्यायालय के द्वारा पारित संरक्षण आदेश की अवहेलना करे वहॉ प्रत्यर्थी के विरूद्ध पुलिस के माध्यम से कार्यवाही करवाना ।
- चिकित्सा अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु सम्बन्धित अस्पताल को संदर्भित करना ।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना ।
- अधिसूचित आश्रय गृह में प्रवेश दिलवाना।स्थानीय स्तर पर आश्रय गृह उपलब्ध नहीं होने पर आपात स्थिति में अस्थायी परन्तु सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था करवाना ।
- आकस्मिक व आपात स्थिति में पुलिस और संरक्षण अधिकारी के सहयोग से महिला के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करवाना।
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र पर आने वाली प्रत्येक महिला प्रार्थी से वार्ता की गोपनीयता का को बनाये व ध्यान रखना।

श्रीगंगानगर केन्द्र : श्रीगंगानगर शहर के पुलिस थाना परिसर में इस केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इस केन्द्र पर माह अप्रेल 2016 से मार्च 2017 तक कुल 87 घरेलू हिंसा से उत्पीडित महिलाओं को सलाह सहयोग व मार्गदर्शन किया गया है।

श्रीगंगानगर केन्द्र : श्रीगंगानगर शहर के पुलिस थाना परिसर में इस केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इस केन्द्र पर घरेलू हिंसा से उत्पीडित महिलाओं को सलाह, सहयोग व मार्गदर्शन किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

गतिविधि	अप्रेल 2016 से मार्च 2017 तक प्रकरण संख्या
व्यथित महिला को व्यक्तिगत सलाह ,मार्गदर्शन ,परामर्श	87
पारिवारीक सलाह ,मार्गदर्शन ,परामर्श	40
व्यथित महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देना	87
कानूनी सलाह	47
एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में सहयोग	06
वैवाहिक घर में रहने के व्यथित महिला के अधिकारों का संरक्षण	01
हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए की गई विचार गोष्ठियां ,कार्यशाला	04
मेडिकल मुआयना करवाने में सहयोग	00
निराश्रय की अवस्था में आश्रय गृह में प्रवेश दिलाने में सहयोग/मार्गदर्शन	00
व्यथित महिला के बच्चों की अभिरक्षा में सहयोग	00
स्त्री धन वापसी में सहयोग	00
घरेलू हिंसा प्रकरणों में व्यथित महिला को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उचित सलाह ,मार्गदर्शन एवं सहायता	00
घरेलू घटना रिपोर्ट बनाने और न्यायालय में प्रस्तुत करने में सहयोग	00
दहेज प्रकरण में उचित कार्यवाही में सहयोग	03
पारिवारिक विघटन एवं तलाक जैसी परिस्थितियों में उचित मार्गदर्शन	06

श्रीगंगानगर : केन्द्र के तहत आयोजित गतिविधि व बैठकों का विवरण :

गतिविधियां व बैठक :

श्रीगंगानगर केन्द्र में कार्यरत सलाहकारो के द्वारा अप्रेल 2016 से मार्च 2017 तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियो व बैठको का आयोजन किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार से है :

क.स.	कार्यक्रम	माह	कार्यक्रम स्थल	उपस्थित संभागी विवरण		
				महिला	पुरूष	योग
1.	आशा सहयोगिनी के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला	17.05.2016	खत्री धर्मशाला, श्रीगंगानगर	56	00	56
2.	बालिका सप्ताह के उपलक्ष्य में गर्व परियोजना कार्यक्रम	18.10.2016	मटीली राठान	17	00	17
3.	बालिका दिवस कार्यक्रम	24.01.2017	18 जैड	39	01	40
4.	राष्टीय बालिका सप्ताह	25.01.2017	मटीली राठान	12	00	12
योग				**124**	**01**	**125**

बाल विवाह के विरूद्व अन्तरराष्ट्रीय अभियान का थार मरूस्थल में क्रियान्वयन
गर्ल्स नोट ब्राईड परियोजना–GIRLS NOT BRIDE

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर जैसलमेर, जोधपुर

वितीय सहयोग : यूनिसेफ राजस्थान

परियोजना प्रारम्भ : नवम्बर 2017

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2016–मार्च 2017

प्रदेश में व्याप्त बाल विवाह जैसी प्रथा को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से उरमूल ट्रस्ट ,बीकानेर और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से गर्ल्स नोट ब्राईड परियोजना का संचालन बीकानेर, जोधपुर एवं जैसलमेर जिले में किया जा रहा है।

संस्था के द्वारा. नवम्बर 2014 से गर्ल्स नोट ब्राईड परियोजना का संचालन बीकानेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिले के 150 गांवों में किया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य :

1. समजा में व्याप्त बाल विवाह प्रथा का रोकथाम व समाप्त करना।
2. जन समुदाय को बाल विवाह से होने वाले नुकसान व असर के बारे में जानकारी देकर जागृति लाना।
3. क्षेत्र के युवक और युवतियों को बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए तैयार करना।
4. क्षेत्र में बाल विवाह हुएं परिवारो का चयन और उनकी केस स्टेडी तैयार करना।
5. क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को मिटाने के लिए प्रशिक्षण देना।
6. क्षेत्र की ग्राम स्वास्थ्य एंव स्वच्छता समिति के सदस्यों को बाल विवाह की रोकथाम एवं समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण देना।
7. क्षेत्र के धर्मगुरूओं ,समाज के मौजिज व्यक्तियों का बाल विवाह रोकथाम व समाप्त करने हेतु प्रशिक्षण करना।
8. क्षेत्र के गांवो के ग्रामीणों में जागृति लाकर उनकी स्व–प्रेरणा से बाल विवाह मुक्त गांव बनाना।
9. क्षेत्र के युवाओ को संगठित करके उन्हे प्रशिक्षण देना।

परियोजना के तहत आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

युवाओं का जीवन कौशल प्रशिक्षण :

परियोजना क्षेत्र के गांवो के युवक और युवतियों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान व असर पर समझ विकसित व मजबुत करने के लिए एक–एक दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षणों के दौरान युवाओं के साथ संस्था द्वारा गांवों में किये कार्यो को शेयर किया गया और बाल विवाह रोकने के विभिन्न संभावित प्रयासों एवं सरकार के द्वारा जारी कानूनो एवं अधिनियमों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	433	00	433
2.	जोधपुर	441	158	599
3.	जैसलमेर	260	30	290
कुल		**1134**	**188**	**1322**

विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों का आमुखिकरण :

परियोजना संचालित क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों का बाल विवाह की रोकथाम व समाप्ति के मुद्दो पर आमुखिकरण किया गया। इस आमुखिकरण कार्यक्रम के दौरान समस्त सदस्यों को बाल विवाह से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे समझाने के साथ ही गांव में विद्यालय से छूटे हुएं बच्चों को जोडने के प्रयासों पर चर्चा की गई। आमुखिकरण में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	59	147	206
2.	जोधपुर	00	00	00
3.	जैसलमेर	20	65	85
कुल		**79**	**212**	**291**

पंचायती राज सदस्यों को आमुखिकरण :

परियोजना के तहत बीकानेर एवं जोधपुर जिले के पंचायती राज सदस्यों संरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंचों के लिए एक दिवसीय आमुखिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आमुखिकरण कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज के सदस्यों को बाल विवाह से नुकसान व समाज पर पडने वाले कुप्रभावों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों से अपने गांवं व ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त करवाने के संभावित प्रयासों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों को अपने–अपने कार्यक्षेत्र में होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम में संभागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	34	98	132
2.	जोधपुर	20	70	90
3.	जैसलमेर	00	00	00
कुल		**54**	**168**	**222**

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति सदस्यों का अभिमुखिकरण :

परियोजना क्षेत्र के बीकानेर के गांवो की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति सदस्यों के लिए एक दिवसीय आमुखिकरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों को बाल विवाह से शारीरिक और मानसिक स्तर पर पडने वाले कुप्रभावों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बाल विवाह से भारत में बढ़ने वाली मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर के आंकड़ो पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में बाल विवाह न होने देने की शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम के संभागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	05	33	38
2.	जोधपुर	00	00	00
3.	जैसलमेर	00	00	00
कुल		**05**	**33**	**38**

धर्म गुरूओं व समाज के मौजिज व्यक्तियों का आमुखिकरण :

परियोजना क्षेत्र में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम व समाप्ति हेतु धर्म गुरूओं व समाज के मौजिज व्यक्तियों के लिए आमुखिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों जिसमें बाल विवाह ज्यादा होते है जैसे भील, बेलदार, विश्नोई, मेधवाल, राजपूत, नायक, जाट व अन्य धर्मो के मौजिज व्यक्यिों को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ बाल विवाह से समाज व पारिवारिक स्तर पर पड़ने वाले कुप्रभावों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। इस आमुखिकरण में भाग लेने वालो का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	113	194	307
2.	जोधपुर	114	303	417
3.	जैसलमेर	45	125	170
कुल		**272**	**622**	**894**

ग्राम स्तरीय युवा प्रशिक्षण :

परियोजना क्षेत्र में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम व आमजन में बाल विवाह के कुप्रभावों के प्रति समझ विकसित करने के लिए ग्राम स्तर पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान युवाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 एवं पाक्सो अधिनियम के बारे में जानकरी दी गई। कार्यक्रम कें अन्त में सभी संभागियों को बाल विवाह को रोकने हेतु शपथ दिलवाई गई। प्रशिक्षण के संभागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	108	301	409
2.	जोधपुर	85	180	265
3.	जैसलमेर	52	102	154
कुल		**245**	**583**	**828**

स्वयं सहायता समुह बैठकों में सहभागिता :

परियोजना संचालित क्षेत्र के बीकानेर जिलें में उरमूल द्वारा बनाये गये स्वयं सहायता समूह की बैठकों में सहभागिता की गई। इन बैठकों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के हेतु चर्चा की गई।

क्र.स.	गांवो की संख्या	समूह संख्या	संभागी
1.	60	121	1188

बाल क्लब का गठन :

क्र.स.	गांवो की संख्या	क्लब संख्या	सदस्य
1.	10	10	246

पालनहार योजनाा से जोडना

क्र.स.	जिले का नाम	गावों की सख्या	लाभार्थी
1.	बीकानेर	60	234

बालविवाह रोकथाम अभियान का आयोजन :

क्र.स.	जिले का नाम	गावों की सख्या	उपस्थिती
1.	बीकानेर	16	2034
2.	जोधपुर	20	2900
3.	जैसलमेर	10	1260
कुल		**46**	**6154**

ग्राम पंचायत बाल विवाह मुक्त शपथ ग्राहण समारोह :

प्रतिवेदन अवधि में जोधपुर जिले के परियोजना संचालित कार्यक्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों बापिणी बरजासर, भींयासर, मलार व लोर्डिया में ग्राम पंचायत स्तर पर बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

शपथ ग्रहण समारोह में सम्मानीय अतिथियों की उपस्थिति में सरपंच, समस्त वार्ड पंचों के अलावा ग्राम पंचायत के सभी राजस्व गॉवों के धर्म गुरू, समाज के मुखिया, समाज सेवी, युवानेता विद्यालय के अध्यापक, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, ग्रामीण महिलाएं, पुरूष व बच्चों आदि ने सर्वजनिक रूप से बाल विवाह मुक्त पंचायत एवं प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की शपथ लेते हुएं बाल विवाह मुक्त घोषणा सम्बन्धी बैनर पर हस्ताक्षर किये गये।

कार्यकम सम्बोधन अवसर पर अतिथियों द्वारा हमें गर्व है कि **हमारी ग्राम पंचायत बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत है** स्टीकर का विमोचन किया गया। यह स्टीकर ग्राम के सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाये गये है। कार्यकम में ग्राम पंचायत वार उपस्थिति जनप्रतिनिधियों एवं जन समुदाय का विवरण निम्न प्रकार से है :

ग्राम पंचायत	दिनांक व स्थान	दिनांक	संभागी
बापिणी	राजकीय उच्च प्रा.विद्यालय,डेडीसरा –बापिणी	20 जून 2016	600
बरजासर	रा.उ.मा.वि, बरजासर	15 अगस्त 2016	600
भींयासर	अटल सेवा केन्द्र, भींयासर	20 अगस्त 2016	450
मलार	अटल सेवा केन्द्र, मलार	24 सितम्बर 2016	300
लोर्डिया	अटल सेवा केन्द्र, लोर्डिया	11 अक्टूबर 2016	250
कुल			**2200**

बाल विवाह मुक्त शपथ ग्रहण कार्यक्रमों में फलौदी विधायक श्री पब्बाराम विष्नोई, फलौदी प्रधान अभिषेक भादू, एडीएम फलौदी श्री आर.डी.बारठ, यूनिसेफ काठमाडू की क्षेत्रीय सलाहकार बाल सुरक्षा कार्यकम सेक्शन सुश्री केन्द्रा, यूनिसेफ दिल्ली की कन्सलटेंट आई.सी.ओ.श्रीमती शमा अफरोज, यूनिसेफ राजस्थान के बाल सुरक्षा अधिकारी श्री संजय निराला, उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर के सचिव श्री अरविंद ओझा, उरमूल समिति के सचिव श्री सुरजनराम जयपाल, प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति फलौदी रामचन्द्र व्यास, प्रचेता महिला अधिकारिता विभाग श्रीमती कुसुम पुरोहित क्षेत्रीय पटवारी एवं ग्राम सेवक सहित ग्रामीण जनसमुदाय ने भाग लिया।

सरकारी अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों व अन्य स्टेक होल्डरस् के साथ जिला स्तरीय बैठक :

परियोजना संचालित जोधपुर जिले में परियोजना के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों व अन्य स्टेक होल्डरस् के साथ जिला स्तरीय बैठक का आयोजन दिनांक 27 जनवरी 2017 को पंचायत समिति, फलौदी के वी.सी.हॉल में अतिरिक्त जिला कलक्टर, फलोदी श्री आर.डी.बारठ की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में उपखण्ड अधिकारी, फलोदी श्री राकेश कुमार शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, फलोदी श्री सायरसिंह, प्रधान पंचायत समिति, फलोदी श्री अभिषेक भादू इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस बैठक में परियोजना अन्तर्गत पिछले दो वर्ष में किये गये कार्यो के बारे में विस्तार से प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया। बैठक में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रचेता महिला अधिकारिता विभाग, प्रगति प्रसार अधिकारी व अन्य स्टेक होल्डरस् के साथ आपसी तालमेल एवं समन्वयन के द्वारा फलोदी पंचायत समिति को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु विस्तार से चर्च के बाद बाल विवाह मुक्त हेतु आपसी तालमेल के साथ आगामी कार्य योजना बनाई गई। इस बैठक में सभी संभागीयों ने फलोदी पंचायत समिति को बाल विवाह मुक्त बनाने की शपथ ली। इस एक दिवसीय बैठक में पंचायत समिति, फलौदी क्षेत्र के 57 संभागीयों ने भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना (11 अक्टूबर 2016)

बाल विवाह रोकथाम सम्बन्धी परियोजना अन्तर्गत 11 अक्टूबर 2016 वार अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम लोर्डियां ग्रम पंचायत मुख्यालय व पंचायत के राजस्व गाँव जुनेजों की ढाणी में 3 स्थानों पर आयोजित गया। इस कार्यक्रम में 110 बालिकाओं एवं 40 बालकों व पुरूष व महिलाओं ने में भाग लिया। कार्यकम में पंचायत समिति फलोदी के प्रधान श्री अभिषेक भादू, लोर्डिया सरपंच संजय जोषी ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिसम्बर 2011 में प्रस्ताव पारित कर प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस वर्ष 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष यह दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा हैं। आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देता है तथा समाज में बालक–बालिका की लिंग असमानता को समाप्त कर बालिकाओं के समग्र विकास का संदेष देता हैं।

कार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह रोकने के लिए सरकारी सूचकों की जानकारी, बाल विवाह करने व बाल विवाह में सम्मिलित होने वालों के लिए सजा का प्रावधान, सूचना के लिए स्थान, बालिका षिक्षा के महत्व, बच्चों के अधिकार, बालिका स्वास्थ्य, पोषण, सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं आदि पर विस्तार से जानकारी दी गई।

क.सं.	गॉव	स्थान	संभागी		
			बालिका	बालक	कुल
1	लोर्डिया	रा.उ.मा.वि, लोर्डिया	70	110	180
2	जुनेजों की ढाणी	बालिका मदरसा	32	5	37
3	लोर्डियां	अटल सेवा केन्द्र, लोर्डिया	110	40	150
कुल			212	155	367